संख्या-13/2023/71ई/23-11-2023/001-1-2-126-2021

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेतुओं/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/ पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था योजना के चालू कार्य पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2627/CE-SEB/CONDITION/GKP/2022-23, दिनांक 28-12-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेतुओं/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/ पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था योजना के 01 चालू कार्य पर अधोलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू0 199.13 लाख (रूपये एक करोड़ निन्यानबे लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	देवरिया	जनपद देवरिया में घाघरा नदी के तुरतीपार घाट पर निर्मित सेतु का कन्डिशन सर्वे कराते हुए रिपेयर रिहैब्लिटेशन/स्ट्रेन्थिनिंग का कार्य।	499.13	300.00	**199.13**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,99,13,000(रूपये एक करोड़ निन्यानबे लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 5054041013900 सेतुओं/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्वार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिये परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्वार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-13/2023/71ई(1)/23-11-2023/001-1-2-126-2021**, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in